संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क./9/नर्सिंग/सेल –2/2017/ 1047   दिनांक 24/10/2017

–: आदेश :–

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. डब्ल्यू पी/6534/2016 श्रीमति कविता पाटीदार स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय खरगौन विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन के प्रकरण में पारित आदेश दिनॉक 27.09.2016 में कविता पाटीदार, स्टाफ नर्स द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को सक्षम अधिकारी द्वारा निराकृत करने हेतु आदेशित किया गया है। मेरे द्वारा श्रीमति कविता पाटीदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का सूक्ष्म परीक्षण किया गया एवं आज दिनॉक 17.10.2017 को समक्ष में उपस्थित श्रीमति कविता पाटीदार को सुना गया। प्रकरण में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

संचालनालय की विज्ञप्ति क्र.9/नर्सिंग/प्रशि.–3/10/1114 दिनॉक 26.07.2010 द्वारा अशासकीय नर्सिंग कॉलेजों/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों से नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों को स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। चयन पश्चात् संभागीय संयुक्त संचालक इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रं/स्थापना/2010/6151 इन्दौर दिंनाक 20.09.2010 के द्वारा श्रीमती कविता पाटीदार, की पदस्थापना स्टॉफ नर्स के पद पर जिला चिकित्सालय खरगौन की गई।

उपरोक्त विज्ञप्ति के विरूद्ध याचिका क्र. डब्ल्यू पी 10550/2010 श्री शाजिद खॉन एवं अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन, मान. उच्च न्यायालय इन्दौर में दायर की गई जिसके निर्णय दिनॉक 22.11.2010 को मान. उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा दिनॉक 26.07.2010 के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया।

विभाग द्वारा मान. उच्च न्यायालय इन्दौर के उक्त निर्णय के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय में रिट अपील क्रं 182/11 दायर की गई। जिसे मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18 मई 2012 द्वारा खारिज कर दिया तदपश्चात् विभाग द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave to Appeal (Civil) क्रं 27239/12 दायर की गई जिसे मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 24.09.2012 को खारिज की गई।

चूंकि मान. उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनॉक 26.07.2010 निरस्त हो चुकी है, अतः इसके परिपेक्ष्य में की गई सूची अनुसार 161 महिला उम्मीदवारों की स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्तियॉ स्वतः ही प्रभाव शून्य हो गई। अतः इस कार्यालय के आदेश क./नर्सिंग/सेल –2/2013/451 भोपाल दिनांक 24.05.2013 द्वारा श्रीमती कविता पाटीदार स्टॉफ नर्स जिला चिकित्सालय खरगौन को सेवा समाप्ति हेतु 01 माह का नोटिस जारी किया गया। संचालनालय द्वारा जारी उक्त सेवा समाप्ति नोटिस के विरूद्ध श्रीमती कविता पाटीदार द्वारा मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्र. डब्लू.पी 7040/2013 दायर की गई, उक्त याचिका में मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित

आदेश दिनांक 08 सितम्बर 2013 द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को निराकृत करने के निदेश दिये गये। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अपने आदेश क्र./9/नर्सिंग/सेल–3/2013/1069 भोपाल दिनांक 31.10.2013 द्वारा श्रीमती कविता पाटीदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरान्त निरस्त कर दिया गया।

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम 1989 में संशोधन किया गया जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रकाशित हुआ में स्टॉफ नर्स के शत् प्रतिशत् पद महिला उम्मीदवारों से भरे जाने का प्रावधान किया गया।

संशोधित भर्ती नियम के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2013 को स्टॉफ नर्स चयन परीक्षा आयोजित की गई तदपश्चात् व्यापम् द्वारा आयोजित स्टॉफ नर्स चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्र. 9/नर्सिंग/सेल–3/13/943 दिनांक 27.09.2013 द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया। उक्त आवंटन के आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर के आदेश क्र. /स्थापना/2013/8590 इन्दौर दिनांक 30.09.2013 द्वारा श्रीमती कविता पाटीदार की नियुक्ति स्टॉफ नर्स के पद पर जिला चिकित्सालय खरगौन में की गई।

श्रीमती कविता पाटीदार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 20.09. 2010 से वरिष्ठता एवं वेतन वृद्वि की मांग की गई है।

चूंकि याचिका क्र. डब्ल्यू पी 10550/2010 श्री शाजिद खॉन एवं अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन में मान. उच्च न्यायालय इन्दौर के निर्णय दिनॉक 22.11.2010 द्वारा दिनॉक 26.07.2010 के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया एवं इस निर्णय के विरूद्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान. उच्च न्यायालय इन्दौर के डिवीजन बेंच में दायर अपील डब्ल्यू ए 182/11 एवं तदपश्चात् मान. उच्चतम न्यायालय में दायर Special Leave to Appeal (Civil) क्र 27239/12 क्रमश मान. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। अतः विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनॉक 26.07.2010 मान. न्यायालयों के उपरोक्त आदेशों के फलस्वरूप निरस्त हो चुकी है अतः इसके परिपेक्ष्य में की गई की स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्तियॉ स्वतः ही प्रभाव शून्य हो गई ।

मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर एवं मान. उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के परिपालन में प्रभाव शून्य/निरस्त हुई नियुक्तियॉ के परिपेक्ष्य में संबधित अवधि की गणना वरिष्ठता हेतु नही की जा सकती और न ही उक्त अवधि हेतु वेतनवृद्वि प्रदाय की जा सकती।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में श्रीमती कविता पाटीदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरान्त अमान्य किया जाता है।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
24-10-2017

d:\asha\cell -- I d p c 2014\cort case\p_kavita patidar (_161_).docx

पृ.क्र.9/नर्सिंग/सेल–2/2017/8048 भोपाल दिनांक 24/10/2017

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के पारित आदेश दिनांक 27.09.2016, प्रकरण क्र. 7040/13 एवं डब्ल्यू पी 6534/16 (एस) के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टॉफ ऑफिसर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
5. नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें कार्यालय इन्दौर।
6. उप संचालक लीगल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि प्रकरण में आगामी कार्यवाही कर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर को वस्तुस्थिति से अवगत करावें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला खरगौन मध्यप्रदेश।
8. श्रीमति कविता पाटीदार, स्टाफ नर्स, जिला चिकि. खरगौन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
9. आदेश नस्ति

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें o/c
मध्यप्रदेश
24-10-2017

d:\asha\cell -- 1 d p c 2014\cort case\p_kavita patidar (_161_).docx

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क./9/नर्सिंग/सेल –2/2017/1045 दिनांक 24/10/2017

–: आदेश :–

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. डब्ल्यू पी/6535/2016 श्रीमति प्रांजली पाटीदार स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय खरगौन विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन के प्रकरण में पारित आदेश दिनॉक 12.11.2016 में श्रीमति प्रांजली पाटीदार, स्टाफ नर्स द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को सक्षम अधिकारी द्वारा निराकृत करने हेतु आदेशित किया गया है। मेरे द्वारा श्रीमति प्रांजली पाटीदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का सूक्ष्म परीक्षण किया गया एवं आज दिनॉक 17.10.2017 को समक्ष में उपस्थित श्रीमति प्रांजली पाटीदार को सुना गया। प्रकरण में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

संचालनालय की विज्ञप्ति क्र.9/नर्सिंग/प्रशि.–3/10/1114 दिनॉक 26.07.2010 द्वारा अशासकीय नर्सिंग कॉलेजों/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों से नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों को स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। चयन पश्चात् संभागीय संयुक्त संचालक इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्र./स्थापना/2010/6140 इन्दौर दिंनाक 20.09.2010 के द्वारा श्रीमती प्रांजली पाटीदार, की पदस्थापना स्टॉफ नर्स के पद पर जिला चिकित्सालय खरगौन की गई।

उपरोक्त विज्ञप्ति के विरूद्ध याचिका क्र. डब्ल्यू पी 10550/2010 श्री शाजिद खॉन एवं अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन, मान. उच्च न्यायालय इन्दौर में दायर की गई जिसके निर्णय दिनॉक 22.11.2010 को मान. उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा दिनॉक 26.07.2010 के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया।

विभाग द्वारा मान. उच्च न्यायालय इन्दौर के उक्त निर्णय के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय में रिट अपील कं 182/11 दायर की गई। जिसे मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18 मई 2012 द्वारा खारिज कर दिया तद्पश्चात् विभाग द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave to Appeal (Civil) कं 27239/12 दायर की गई जिसे मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 24.09.2012 को खारिज की गई।

चूंकि मान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनॉक 26.07.2010 निरस्त हो चुकी है, अतः इसके परिपेक्ष्य में की गई सूची अनुसार 161 महिला उम्मीदवारों की स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्तियॉ स्वतः ही प्रभाव शून्य हो गई। अतः इस कार्यालय के आदेश क्र./नर्सिंग/सेल –2/2013/451 भोपाल दिनांक 24.05.2013 द्वारा श्रीमती प्रांजली पाटीदार स्टॉफ नर्स जिला चिकित्सालय खरगौन को सेवा समाप्ति हेतु 01 माह का नोटिस जारी किया गया। संचालनालय द्वारा जारी उक्त सेवा समाप्ति नोटिस के विरूद्ध श्रीमती प्रांजली पाटीदार द्वारा मान उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्र. डब्लू.पी 7038/2013 दायर की गई उक्त याचिका में मान उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित

आदेश दिनांक 08 सितम्बर 2013 द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को निराकृत करने के निदेश दिये गये। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अपने आदेश कं/9/नर्सिंग/सेल–3/2013/1069 भोपाल दिनांक 31.10.2013 द्वारा श्रीमती प्रांजली पाटीदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरान्त निरस्त कर दिया गया।

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम 1989 में संशोधन किया गया जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रकाशित हुआ, में स्टॉफ नर्स के शत् प्रतिशत् पद महिला उम्मीदवारों से भरे जाने का प्रावधान किया गया।

संशोधित भर्ती नियम के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2013 को स्टॉफ नर्स चयन परीक्षा आयोजित की गई तद्पश्चात् व्यापम् द्वारा आयोजित स्टॉफ नर्स चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारो का संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्र. 9/नर्सिंग/सेल–3/13/943 दिनांक 27.09.2013 द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया। उक्त आवंटन के आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर के आदेश क्र. /स्थापना/2013/8590 इन्दौर दिनांक 30.09.2013 द्वारा श्रीमती प्रांजली पाटीदार की नियुक्ति स्टॉफ नर्स के पद पर जिला चिकित्सालय खरगौन में की गई ।

श्रीमती प्रांजली पाटीदार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 20.09. 2010 से वरिष्ठता एवं वेतन वृद्वि की मांग की गई है।

चूंकि याचिका क्र. डब्ल्यू पी 10550/2010 श्री शाजिद खॉन एवं अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन में मान. उच्च न्यायालय इन्दौर के निर्णय दिनॉक 22.11.2010 द्वारा दिनॉक 26.07.2010 के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया एवं इस निर्णय के विरूद्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान. उच्च न्यायालय इन्दौर के डिवीजन बेंच में दायर अपील डब्ल्यू ए 182/11 एवं तद्पश्चात् मान. उच्चतम न्यायालय में दायर Special Leave to Appeal (Civil) कं 27239/12 क्रमशः मान. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। अतः विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनॉक 26.07.2010 मान. न्यायालयों के उपरोक्त आदेशों के फलस्वरूप निरस्त हो चुकी है। अतः इसके परिपेक्ष्य में की गई की स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्तियॉ स्वतः ही प्रभाव शून्य हो गई ।

मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर एवं मान. उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के परिपालन में प्रभाव शून्य/निरस्त हुई नियुक्तियॉ के परिपेक्ष्य में संबधित अवधि की गणना वरिष्ठता हेतु नही की जा सकती और न ही उक्त अवधि हेतु वेतनवृद्धि प्रदाय की जा सकती।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में श्रीमती प्रांजली पाटीदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरान्त अमान्य किया जाता है।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

d:\asha\cell -- 1 d p c 2014\cort case\p_pranjali patidar (_161_) .docx

24-10-2017

पृ.क.9/नर्सिंग/सेल–2/2017/1046 भोपाल, दिनांक 24/10/2017

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के पारित आदेश दिनांक 08.09.2013, प्रकरण क्र. 7038/13 एवं डब्ल्यू पी 6535/2016 (एस) के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टॉफ ऑफिसर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
5. नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें कार्यालय इन्दौर।
6. उप संचालक लीगल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि प्रकरण में आगामी कार्यवाही कर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर को वस्तुस्थिति से अवगत करावें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला खरगौन मध्यप्रदेश।
8. श्रीमति प्रांजली पाटीदार, स्टाफ नर्स, जिला चिकि. खरगौन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
9. आदेश नस्ति।

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें o/c
मध्यप्रदेश
24.10.2017